

भारतीय सशस्त्र बल में महिलाओं की भूमिका पर अध्ययन

डॉ. कंचन जैन, शिक्षा शास्त्र विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

भारतीय सशस्त्र बलों ने महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी है। बलों द्वारा महिलाओं की नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महिला अधिकारियों और अन्य पदोन्नति (ओआर) के प्रतिशत अनुपात को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे वह लड़ाकू भूमिका में महिलाएं हों या रक्षा में चिकित्सा सेवाएं, यह उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। 1888 में भारतीय सैन्य सेवा के गठन के साथ, भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका आकार लेने लगी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना की नर्सों ने उत्कृष्ट सेवा की। महिला सहायक कोर के गठन के साथ भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका का और विस्तार किया गया, जिससे उन्हें मुख्य रूप से गैर-लड़ाकू भूमिकाओं जैसे संचार, लेखा, प्रशासन आदि में सेवा करने की अनुमति मिली।

वाहिनी के एक सदस्य, नूर इनायत खान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी सेवा के लिए एक प्रसिद्ध स्थिति प्राप्त करते हुए, एक जासूस के रूप में भेद के साथ सेवा की। ब्रिटिश भारतीय सेना मुख्य रूप से गैर-लड़ाकू भूमिकाओं के लिए महिलाओं तक सीमित थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज के मामले में ऐसा नहीं था। झाँसी रेजिमेंट की रानी नाम की एक महिला रेजिमेंट थी, जिसने बर्मा में इंपीरियल जापानी सेना के साथ लड़ने पर सक्रिय लड़ाई देखी।

मुख्य शब्द सशस्त्र बल, अपवाद, सैनिक, सिग्नल कोर।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध में सरकारी रिपोर्ट एवं पुस्तकों का अध्ययन किया गया है।

शोध उद्देश्य- भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका का पता लगाना।

भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की वर्तमान में भूमिका

सेना अधिनियम 1950 ने महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ अपवादों के साथ नियमित आयोगों के लिए अपात्र बना दिया। 1 नवंबर 1958 को आर्मी मेडिकल कोर महिलाओं को नियमित कमीशन देने वाली

पहली भारतीय सेना इकाई बनी। उसके बाद, पूरे 80 और 90 के दशक में, महिलाओं को भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए योग्य बनाया गया।

2020 तक महिलाएं पैराशूट रेजिमेंट जैसे विशेषज्ञ बलों में लड़ाकू सैनिकों के रूप में सेवा के लिए पात्र नहीं होंगी, लेकिन वे इसके कुछ गैर-लड़ाकू विंग जैसे सिग्नल कोर, इंजीनियर आदि में शामिल हो सकती हैं।

भारत में रक्षा बलों में महिलाओं को शामिल करने का महत्व

महिला अधिकारियों को राष्ट्र के लिए योगदान करने का समान अवसर दिया जाएगा।

सशस्त्र बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

महिलाओं को अधिक चुनौतीपूर्ण और पूर्ण करियर प्रदान करना।

यह सशस्त्र बलों में महिलाओं को अनुमति नहीं देने के लिए "प्रतिगामी मानसिकता" को बदल देगा।

यह उस मजबूत स्टीरियोटाइप को चुनौती देगा जो मानता है कि घरेलू दायित्व पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर करता है।

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का फरवरी का फैसला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को भारतीय सशस्त्र बलों में स्थायी सेवा प्रदान करने के संबंध में था। पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और परमानेंट कमीशन ऑफिसर के बीच के अंतर को समझते हैं

एक एसएससी एक अधिकारी है, जिसका भारतीय सशस्त्र बलों में करियर आमतौर पर 14 साल तक सीमित होता है जबकि एक पीसी उनके सेवानिवृत्त होने तक सेवा दे सकता है। एसएससी के लिए 10वें वर्ष के अंत में, तीन विकल्प उपलब्ध होंगे

एक स्थायी आयोग के लिए चुनाव करें

सेवा से इस्तीफा दें

इस्तीफे के लिए ऑप्ट।

यह इस आधार पर था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला पारित किया था जो महिलाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में पीसी अधिकारियों के रूप में सेवा देने में सक्षम बनाता था। इस फैसले के महत्व ने भारतीय सशस्त्र बलों की चुनिंदा शाखाओं को महिला अधिकारियों के लिए खोल दिया है।

भारतीय सेना और पैराशूट और आर्टिलरी रेजिमेंट जैसे विशेषज्ञ ब्रिगेड में एकमात्र अपवाद एक लड़ाकू भूमिका है, हालांकि गैर-लड़ाकू भूमिकाएं अभी भी महिलाओं के लिए खुली हैं।

भारतीय सशस्त्र बलों की निम्नलिखित शाखाओं के लिए सेवारत महिला कर्मियों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, सन 2018 के आंकड़े यह बताते हैं-

भारतीय वायु सेना: 13.09%

भारतीय नौसेना: 6%

भारतीय सेना 3.80%

रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, आर्मी मेडिकल कोर और आर्मी डेंटल कॉर्प्स की महिला अधिकारी भारतीय सेना में लगभग 21.25% अधिकारी हैं। कुल जूनियर कमीशन अधिकारियों (जेसीओ) और ओआरएस में महिलाओं की भागीदारी लगभग 0.01% है।

मंत्रालय के अनुसार, चिकित्सा और दंत चिकित्सा शाखा में अधिकारियों को छोड़कर, भारतीय नौसेना में कुल अधिकारियों में से 6% और वायु सेना में 13.69% महिलाएँ हैं। भारतीय सेना में महिलाओं के लिए कोई पद खाली नहीं है। भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में स्वीकृत पद लिंग तटस्थ हैं, “मंत्रालय की विज्ञप्ति में एक बयान पढ़ा।

रक्षा अकादमियों में महिलाएं

सैन्य प्रशिक्षण के प्रमुख संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिला उम्मीदवारों (सेना - 20, नौसेना - 06 और वायु सेना - 12) के लिए 38 निश्चित सीटें हैं। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) में महिला उम्मीदवारों के लिए 80 सीटें हैं और भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में NDA के सेना कैडेटों के लिए 20 सीटें हैं।

सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (AFMC), पुणे और कॉलेज ऑफ नर्सिंग (MNS) में क्रमशः महिला उम्मीदवारों के लिए 30 और 220 सीटें आरक्षित हैं।

महिलाओं के लिए सशस्त्र बलों में धाराएँ

भारतीय सेना नियमित रूप से सशस्त्र बलों के भीतर लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के रोजगार के लिए अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करती है, जो एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान में सेना महिलाओं को दस धाराओं में कमीशन दे रही है। उन धाराओं में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में केवल महिलाओं की प्रविष्टियाँ हैं जहाँ उन्हें डॉक्टरों और सैन्य नर्सों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एनडीए में महिला कैडेटों का प्रवेश, एसएससी महिला अधिकारियों का स्थायी कमीशन, और प्रोवोस्ट जेसीओ/ओआर के रूप में महिलाओं की भर्ती महिला रक्षा उम्मीदवारों के लिए नवीनतम प्रगति हैं।

वायु सेना- भारतीय वायु सेना में महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं क्योंकि महिला अधिकारियों को सभी शाखाओं और धाराओं में शामिल किया जाता है। सशस्त्र बलों की वायु शाखा में अधिकारियों की भर्ती लिंग-तटस्थ है। IAF में करियर के अवसरों को प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विशेष प्रचार अभियान के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है।

जुलाई 2017 से, एसएससी (महिला) उड़ान के लिए एनसीसी विशेष प्रविष्टि के माध्यम से महिलाओं के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया है। 2015 में आई वायुसेना की सभी लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को अब एक स्थायी योजना के रूप में नियमित कर दिया गया है।

नौसेना- भारतीय नौसेना ने 1991 में महिलाओं को अधिकारियों के रूप में शामिल करना शुरू किया। नौसेना ने धीरे-धीरे महिला अधिकारियों को एनडीए के माध्यम से उनकी नियुक्ति सहित अपनी सभी शाखाओं के लिए अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, 2022 से शुरू होकर, महिलाओं को पहली बार अग्निपथ योजना के तहत नाविकों के रूप में भर्ती किया जाएगा, उनके लिए उपलब्ध पदों का 20% आरक्षित होगा।

रक्षा बलों में महिलाएं

सरकार ने घोषणा के अनुसार कि महिलाओं को 2019 से सैन्य पुलिस में सैनिक या अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (पीबीओआर) के रूप में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान में, केवल भारतीय वायु सेना लड़ाकू पायलटों के रूप में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल करती है।

वायु सेना में 13.09% महिला अधिकारी हैं, जो तीनों बलों में सबसे अधिक हैं।

सेना में 3.80% महिला अधिकारी हैं, जबकि नौसेना में 6% महिला अधिकारी हैं।

बबीता पुनिया मामला

शीर्ष अदालत ने 2020 के बबीता पुनिया मामले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण भर्ती प्रथाएं हैं, जिन्हें उन पदों से बाहर रखा गया था, जिनके वे अन्यथा हकदार थे। इसने रक्षा बलों में महिला अधिकारियों की भर्ती में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। सशस्त्र बलों में महिलाओं के पास एक पूर्ण कैरियर की सेवा करने का विकल्प है, जो पहले अधिकतम 10 या 14 वर्ष तक सीमित था।

भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी के परिदृश्य

विकास- परंपरागत रूप से पुरुषों के गढ़ माने जाने वाले सशस्त्र बलों ने पिछले 30 वर्षों में महिलाओं को शामिल करने में सफलता देखी है, हालांकि यात्रा सुचारू नहीं रही है।

सेना ने 1992 में महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोले जब वायु सेना ने अपना पहला बैच शामिल किया।

सीमित लड़ाकू भूमिकाएँ- 2008 में जज एडवोकेट जनरल (JAG) और सेना शिक्षा कोर की धाराओं में महिलाओं के लिए एक स्थायी कमीशन बढ़ाया गया था।

2015 में, भारत ने लड़ाकू पायलटों के रूप में महिलाओं के लिए वायु सेना की नई भूमिकाएँ भी खोलीं।

वायु सेना में महिलाओं को युद्ध में जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन हमें अभी तक सेना और नौसेना में लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं को देखना बाकी है।

भले ही महिलाएं 1992 से सेना में हैं लेकिन उन्हें सभी भूमिकाएं और करियर विकल्प नहीं दिए जाते हैं।

भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए चुनौतियां

सेना की सार्वभौमिक धारणा यह है कि यह "परिचालनात्मक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक समस्याओं" को जन्म देगी।

लड़ाकू शाखाओं के अधिकारियों को एक साथ लड़ना पड़ता है और ऐसी कोई गोपनीयता नहीं है जो एक महिला के लिए एक मुद्दा हो।

भारत में विशेष रूप से सामाजिक मानदंडों को देखते हुए युद्ध की स्थितियों में महिलाओं के लिए उचित रहने की स्थिति बनाए रखना कठिन है।

गर्भावस्था, मातृत्व और घरेलू जिम्मेदारियों के दौरान लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण महिलाओं को सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्सर इसे समाज द्वारा एक चुनौती के रूप में देखा जाता है।

विश्व धारणा

सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने के संबंध में भारत के पास सीमित अनुभव है। दूसरी ओर, महिलाएं लंबे समय से विकसित देशों की सेनाओं में सेवा दे रही हैं। इन देशों ने शामिल सभी मुद्दों की गहरी समझ हासिल कर ली है।

संयुक्त राज्य

सेवाओं में महिलाओं को शामिल करने के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अग्रणी और एक प्रवृत्ति-सेटर माना जाता है। अमेरिकी सशस्त्र बलों में लगभग 200,000 अमेरिकी महिलाएं सक्रिय कर्तव्य पर हैं। वे इसकी ताकत का लगभग 20 प्रतिशत बनाते हैं।

ब्रिटेन

1990 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका का एक बड़ा विस्तार हुआ। उन्हें कई नए काम सौंपे गए हैं।

नौसेना में सभी नौकरियों का 71%, सेना में 67% और वायु सेना में 96% महिलाओं के पास है। महिलाओं को मुख्य रूप से उन कर्तव्यों से बाहर रखा गया है जिनके लिए दुश्मन से करीब से लड़ने की आवश्यकता होती है।

कनाडा

कनाडाई महिलाओं के लिए सशस्त्र बलों का हिस्सा बनना एक लंबा और धीमा संघर्ष रहा है। सौ से अधिक वर्षों तक, महिलाओं को केवल नर्सिंग कर्तव्यों के लिए उपयुक्त माना जाता था।

सुझाव और निष्कर्ष

लैंगिक पक्षपात या यहां तक कि महिलाओं की मुक्ति के मुद्दे के रूप में देखना भी अविवेकपूर्ण ही है। सशस्त्र बलों का गठन देश की रक्षा सुनिश्चित करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है। देश की रक्षा से संबंधित सभी मामलों पर निष्पक्ष भाव से विचार करना होगा। लिंगों की समानता या राजनीतिक लाभ के लिए चिंता रक्षा नीतियों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

मानसिकता और लैंगिक संवेदनशीलता के प्रश्न पर कई लोगों का यह मत है कि ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी और उस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

इन घटनाक्रमों का परिणाम वास्तव में और अधिक महिलाओं को संचालनात्मक धाराओं में लाना होगा होगा और आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए नई धाराएँ खोली जाएंगी।

कुछ लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि इन नए प्रवेशकों पर बहुत अधिक मीडिया और जनता का ध्यान उन पर अवांछित दबाव डाल सकता है।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि महिला अधिकारियों को भर्ती के दौरान, युद्ध शारीरिक दक्षता परीक्षणों में शारीरिक मानकों में रियायतें मिलती हैं और आम तौर पर उन्हें समायोजित करते समय स्वच्छता, संवेदनशीलता और गोपनीयता के मुद्दों पर उचित विचार के साथ नरम नियुक्तियां दी जाती हैं।

रक्षा सेवाओं में महिलाएँ

यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोकसभा में श्रीमती क्वीन ओजा और श्री टीआर बालू को एक लिखित उत्तर में दी, 17 मार्च 2023 शाम 5:34 बजे पीआईबी दिल्ली द्वारा भारतीय सेना में सेवारत महिलाओं की कुल संख्या, श्रेणी-वार इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ग	महिलाओं की ताकत को बरकरार रखा
(ए)	अधिकारी (सेना चिकित्सा कोर (एएमसी)/सेना डेंटल कोर (एडीसी) और सैन्य नर्सिंग सेवा	6993

	(एमएनएस) अधिकारियों सहित)	
(बी)	जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ)	-
(सी)	अन्य रैंक (OR)	100
कुल		7,093

वर्तमान में, महिलाएँ केवल भारतीय वायु सेना (IAF) में अधिकारी संवर्ग में सेवारत हैं। 01 मार्च, 2023 तक भारतीय वायुसेना में (मेडिकल और डेंटल शाखाओं को छोड़कर) महिला अधिकारियों की संख्या 1,636 है।

आज की तारीख में महिलाएं भारतीय नौसेना में अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। 09 मार्च, 2023 तक भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों की संख्या मेडिकल और डेंटल अधिकारियों सहित 748 है।

भारतीय सशस्त्र बलों में रोजगार लिंग तटस्थ है। जिन हथियारों और सेवाओं में पुरुष और महिला सैनिक काम करते हैं, उनमें उनकी तैनाती और कामकाजी परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। पोस्टिंग संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार होती है और रोजगार योग्यता और सेवा गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार होता है।

भारतीय सेना : महिला अधिकारियों (डब्ल्यूओ) को स्थायी कमीशन देने के परिणामस्वरूप, रोजगार और पदोन्नति पहलुओं को कवर करने वाली एक लिंग तटस्थ कैरियर प्रगति नीति 23.11.2021 को प्रख्यापित की गई थी, जो महिला अधिकारियों को उन हथियारों/सेवाओं में समान अवसर प्रदान करती है जहां उन्हें कमीशन दिया गया है।

भारतीय वायु सेना : महिला अधिकारियों को विभिन्न फील्ड इकाइयों की लड़ाकू इकाइयों में कमांडिंग ऑफिसर सहित प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में नियम लिंग तटस्थ हैं और उन्हें समान अवसर

प्रदान करते हैं। उनके प्रभावी उपयोग से पहले उनकी चिकित्सीय फिटनेस और चिकित्सीय स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है।

भारतीय नौसेना : अधिकारियों को लिंग तटस्थ तरीके से जीवनसाथी के साथ सह-स्थान, पुनर्स्थापन पोस्टिंग और अनुकंपा के आधार पर पोस्टिंग के अवसर दिए जाते हैं।

महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के लिए लागू अन्य छुट्टियों के अलावा मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश आदि भी दिए जाते हैं।

भारतीय सेना

अधिकारी: भारतीय सेना महिलाओं को शामिल करने के लिए सक्षम नीतियां अपनाकर उन्हें बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में चल रही प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- महिला सेवारत कार्मिकों को स्थायी कमीशन (पीसी) का अनुदान । 11 शस्त्र एवं सेवाओं (आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अलावा) में महिला अधिकारियों (डब्ल्यूओ) को पीसी प्रदान किया जा रहा है। सेना सेवा कोर (एएससी), सेना आयुध कोर (एओसी), सेना शिक्षा कोर (ईसी), जज एडवोकेट जनरल ब्रांच (जेएजी ब्र), कोर ऑफ इंजीनियर्स (ईएनजीआरएस), कोर ऑफ सिग्नल (एसआईजीएस), कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), इंटेलिजेंस कोर (इंट कोर), आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), आर्मी एविएशन, रिमाउंट और वेटरनरी कोर (आरवीसी)।
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाएं । सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिला उम्मीदवारों के लिए प्रवेश खोल दिया है, जिसमें भारतीय सेना के 10 कैडेटों सहित 19 कैडेट हर छह महीने में अकादमी में शामिल होते हैं। महिला कैडेटों के पहले बैच ने जुलाई 2022 से एनडीए में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और दूसरे बैच ने जनवरी 2023 से प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। संगठन इसे सक्षम करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक, प्रशिक्षण और नीतिगत बदलावों को पूरा करने के लिए समावेशी उपाय सुनिश्चित कर रहा है।
- आर्मी एविएशन में महिलाएं . भारतीय सेना ने वर्ष 2021 से महिला अधिकारियों के लिए आर्मी एविएशन कोर में पायलट के रूप में काम करने के रास्ते भी खोल दिए हैं।

- रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर (आरवीसी) में महिला अधिकारी। सरकार ने 01 मार्च, 2023 को आरवीसी में महिला अधिकारियों को मंजूरी दे दी है और 2023 में आरवीसी में 20 अधिकारियों में से चार महिलाएं हैं।
- कर्नल (ग्रेड चुनें)। कर्नल (सेलेक्ट ग्रेड) रैंक के लिए महिला अधिकारियों पर भी विचार किया जा रहा है और उन्हें कमांड नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन लोगों के करियर की प्रगति में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए डब्ल्यूओ को कुछ छूट भी दी गई है जो संक्रमण अवधि के दौरान अनिवार्य करियर पाठ्यक्रम नहीं ले सके।
- जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ)/अन्य रैंक (ओआर)। भारतीय सेना में सैन्य पुलिस कोर में अन्य रैंकों के रूप में महिलाओं के नामांकन का प्रावधान 2019 में पेश किया गया है। योजना के तहत, 1700 महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से (लगभग 100 प्रति वर्ष) शामिल करने का लक्ष्य है। महिलाओं को शामिल करना 2020 से शुरू हो गया है। अन्य रैंकों में 100 महिलाओं का पहला बैच 61 सप्ताह के प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद मई 2021 के पहले सप्ताह में पास हुआ। अग्निपथ योजना के माध्यम से अन्य 100 महिला सैनिकों को शामिल किया गया है। भर्ती वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अग्निपथ योजना में प्रत्येक के लिए 100 रिक्तियां रखी गई हैं।

भारतीय वायु सेना

- भारतीय वायु सेना की सभी शाखाओं और धाराओं में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। लिंग तटस्थ दृष्टिकोण बिना किसी प्रतिबंध के सभी लड़ाकू भूमिकाओं में भारतीय वायु सेना की महिला अधिकारियों के रोजगार की सुविधा प्रदान कर रहा है। वे लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं और देश के कोने-कोने से भारतीय वायुसेना की सभी शाखाओं में गर्व के साथ काम कर रहे हैं।
- IAF में करियर के अवसरों को प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विशेष प्रचार अभियानों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। जुलाई 2017 से फ्लाइटिंग एसएससी (महिला) के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री के माध्यम से एक रिक्ति भी प्रदान की गई है।
- वायु सेना मुख्यालय में 'दिशा' सेल भारतीय वायुसेना में अधिकारी संवर्ग के प्रेरण/करियर से संबंधित देश भर में विभिन्न प्रेरण प्रचार कार्यक्रम आयोजित करता है। ऐसे प्रचार अभियानों के दौरान महिला उम्मीदवारों को पसंदीदा करियर विकल्प के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- महिला अधिकारियों द्वारा प्रेरक वार्ता के संचालन से छात्राओं को उनके साथ बातचीत करने और अपनी आशंकाओं को दूर करने का अवसर मिलता है। इन सत्रों के दौरान आईएफ को करियर के रूप में चुनने का दायरा संभावनाओं, सुविधाओं, कार्य प्रोफाइल, लाभ आदि के संदर्भ में शामिल किया गया है।

भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना (आईएन) लगभग सभी पहलुओं में लैंगिक तटस्थता सुनिश्चित करती है। महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के समान समान अवसर देने और भारतीय नौसेना में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए आईएन द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन : भारतीय नौसेना में एसएससी महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के अनुदान पर विचार के लिए पात्र हैं। आज तक, 59 महिला अधिकारियों (मेडिकल और डेंटल अधिकारियों को छोड़कर) को पीसी प्रदान किया गया है।
- जहाजों पर महिला अधिकारी : युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। वर्तमान में, 33 महिला अधिकारी अप्लोट बिलेट्स पर तैनात हैं।
- हेलीकॉप्टरों पर नौसेना वायु संचालन (एनएओ) अधिकारी : महिला एनएओ अधिकारियों को हेलीकॉप्टरों को जहाज करने के लिए विशेषज्ञ एनएओ अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।
- आरपीए स्ट्रीम : महिला अधिकारी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) स्ट्रीम में शामिल हो सकती हैं और पहली महिला अधिकारी मार्च 2021 में आरपीए स्क्वाड्रन में शामिल हुईं।
- राजनयिक कार्यभार : जनवरी 2020 से एक महिला अधिकारी को एडीए, मॉस्को नियुक्त किया गया है।
- विदेशी कार्यभार : महिला एनएओ अधिकारियों को सितंबर 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए डोर्नियर एयरक्रू के हिस्से के रूप में विदेशों में मालदीव में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा, महिला अधिकारियों को मोबाइल प्रशिक्षण टीमों और अन्य विदेशी सहयोग कार्यों के हिस्से के रूप में छोटी अवधि के लिए विदेश में भी प्रतिनियुक्त किया जाता है।
- एनडीए में महिलाओं का प्रवेश : 2022 से एनडीए में महिला उम्मीदवारों के प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिसमें महिला अधिकारियों को पीसी अधिकारियों के रूप में शामिल किया जा रहा है। नौसेना की महिला उम्मीदवारों के लिए एनडीए में प्रति बैच तीन रिक्तियां आवंटित की गई हैं और पहला बैच जुलाई 2022 में शामिल हो गया है।

- सभी शाखाओं/संवर्गों/विशेषज्ञताओं में महिलाएं: सभी शाखाओं/संवर्गों/विशेषज्ञताओं (पनडुब्बी विशेषज्ञता को छोड़कर) में महिलाओं का प्रवेश जून 2023 से शुरू करने का लक्ष्य है।
- अग्निवीर के रूप में महिलाएं : अग्निपथ योजना के हिस्से के रूप में, महिलाओं को पहले बैच से ही अग्निवीर के रूप में नामांकित किया गया है। उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में समान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और प्रतिधारण मानदंड के अधीन किया जाता है।

सन्दर्भ

1. भारतीय सेना को सैन्य नर्सों के खिलाफ अपने भेदभाव को रोकना चाहिए , हिंदुस्तान टाइम्स , 13 दिसंबर 2017
2. पेरी, फ्रेडरिक विलियम (1988)। राष्ट्रमंडल सेनाएं: दो विश्व युद्धों में जनशक्ति और संगठन (पृ.1114)। मैनेचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस एन.डी. आईएसबीएन 0-7190-2595-8.
3. " नूर इनायत खान: ब्रिटेन की मुस्लिम युद्ध नायिका को याद करते हुए ," 23 अक्टूबर 2012।
4. भारतीय नौसेना के 10 साहसी नायकों के बारे में आपको पता होना चाहिए , 4 दिसंबर 2016।
5. "भारत सशस्त्र बलों में अधिक महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है"। बीबीसी समाचार। 8 सितंबर 2021 . 22 सितंबर 2021 को पुनःप्राप्त।
6. "सेना महिलाओं को समायोजित करने के लिए बदलाव देखती है"। इंडियन एक्सप्रेस। 16 फरवरी 2020।
7. "सेना में महिला डॉक्टरों के लिए स्थायी आयोग" (पीडीएफ)। प्रेस सूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया - आर्काइव। 29 अक्टूबर 1958। 31 दिसंबर 2020 को लिया गया।
8. महिला अधिकारी युद्ध और कमांड भूमिका में, हिंदुस्तान टाइम्स, फरवरी 2020।
9. "8 और धाराओं में महिला अधिकारी, MoD ने जारी किया आदेश"। द ट्रिब्यून इंडिया। 24 जुलाई 2020।
10. सेना ने पहली बार महिलाओं को सैन्य पुलिस के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की , द प्रिंट , 25 अप्रैल 2020।

11. संचारी पाल (24 जनवरी 2017) बहादुर भारतीय महिला सैनिक । द बेटर इंडिया ।
12. "मेजर जनरल जॉयस ग्लेडिस रोच ने एडीजी, एमएनएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक का पदभार संभाला" । 28 सितंबर 2019 को पुनःप्राप्त ।
13. "पहली बार सेना के 'लड़ाकू-समर्थन हथियार' में पांच महिलाएं कर्नल बनीं" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 23 अगस्त 2021।
14. प्रादेशिक सेना में महिलाओं को शामिल किया जाना , द हिंदू, 2018।
15. "भारत की पहली महिला जनरल" (पीडीएफ) । प्रेस सूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया - आर्काइव । 30 अगस्त 1976 । 3 अप्रैल 2020 को पुनःप्राप्त ।
16. महिला अधिकारियों का प्रवेश
17. "लाइबेरिया में तैनात करने वाली पहली अखिल महिला संयुक्त राष्ट्र शांति सेना" । फॉक्स न्यूज चैनल । 19 जनवरी 2007 । 28 जनवरी 2008 को पुनःप्राप्त ।